DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Wednesday, March 8, 1995/Phalguna 17, 1916 (Saka)

No.154

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated 7.3.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Addl. Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi is received today i.e. 8th March, 1995:-

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon. Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 2.00 P.M. today i.e. 7.3.95.

He was released at 2.10 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 7.3.95."

> P.N. GUPTA SECRETARY

दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामनों ते तम्ब न्धित तामान्य जानकारी १ बुधवार, ८ मार्च, १९९५ ∕फाल्गुन १७, १९।६ १ आक्र १

संख्या-154

सदस्य ो नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का 7.3.1995 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 8 यार्च, 1995 को प्राप्त हुआ है:-

> "मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत आज अर्थात् 7-3-1995 को अपराहन 2-00 बजे पुलिस के विधिसंगत निदेशों की संसद मार्ग, नई दिल्ली पर अवहेलना करने के संबंध में नज़रवंद किया गया था।

उसें. उसी दिन अर्थात् 7.3. 95 को अपराहन 2.10 बजे थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिटा कर दिया गर था।"

> पी एन0 गुप्ता सचिव